मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000

(भा. व. अ. 1997 की धारा 41, 42 तथा 46 के अन्तर्गत)

अधिसूचना क्र. एफ-30-40-95-दस-3 दिनांक 13 दिसम्बर, 2000 - भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का. सं. 16) की धारा 41 तथा 42 के साथ पठित धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा, वनोपज के अभिवहन को विनियिमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् –

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 'मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000' हैं।

(2) ये नियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश को लागू होंगे।

(3) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2 परिभाषाः इन नियमों में अधिनियम से अभिप्रेत है, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. XVI)

3 पासों के माध्यम से वनोपज के अभिवहन का विनियमन - किसी भी वनोपज का मध्यप्रदेश राज्य में या उसके बाहर या उसके अन्दर इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति के सिवाय, इन नियमों से संलग्न प्रारूप (क), (ख) या (ग) में अभिवहन पास के बिना गमनागमन नहीं किया जाएगा।

अभिवहन पास, किसी वन अधिकारी या ग्राम पंचायत या ऐसा पास जारी करने के लिए इन नियमों के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जारी किया जाएगा :

परन्तु कोई भी अभिवहन पास –

(क) किसी ऐसे वनोपज को, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे ग्राम की सीमाओं के भीतर, जिसमें यह पैदा हुई हो, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त दिए गए विशेषाधिकार या अधिनियम के अधीन मान्य किए गए अधिकार का प्रयोग करते हुए वास्तविक घरेलू उपभोग के लिए हटाई जा रही है ।

[1] म. प्र. वनोपज अभिवहन (वनोपज) नियम 2000 के नियम (3) के परन्तुक के खण्ड 'ख' द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा काष्ठ, खनिज, वन्य जीव उत्पाद, तेन्दूपत्ता, साल बीज, कुल्लू गोंद को छोड़ समस्त अविनिर्दिष्ट लघु वनोपज को उक्त नियमों के प्रवर्तन से मुक्त करता है।

(ख) ऐसे वनोपज को जिसे राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दी जाए।

[2] क्र. एफ. 30-8-2002-दस-3, मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के नियम (3) के परन्तुक के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, वनोपज को निम्नलिखित प्रजातियों को उक्त नियमों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करती है, अर्थात

निम्नलिखित प्रजातियो का काष्ठ –

एक.	नीलगिरी	– यूकेलिप्टस प्रजातियां
दो.	कैसूरिना	– कैसूरिना इक्वेजेटिफोलिया
तीन.	सूबबूल	– ल्यूसेनिया प्रजातियां
चार.	पापलर	– पाप्युलस प्रजातियां

पांच: इज़रायली बबूल – एकेशियां टॉरटिलिस

छः. विलायती बबूल – प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा

सात. बबूल – अकेशिया निलोटिका

आठ. विलोपित

नौ. विलोपित

दस. आयातित/शंकुधारी काष्ठ (चीड़, कैल, देवदार और पाईन) की अन्य समस्त प्रजातियाँ, जो मध्यप्रदेश में नहीं पाई जाती है, चाहे वे किसी अन्य नाम से ही जानी जाती हों,

ग्यारह. कटंग बांस – बेम्बूसा अरून्डनेशिया

[3] क्र. एफ.-28-1-2003-दस-3, दिनांक 24 जून 2003 - मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के नियम (3) के परन्तुक के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा काष्ठ, खनिज, वन्य जीव उत्पाद, तेंदूपत्ता, साल बीज, कुल्लू, गोंद को छोड़कर समस्त अविनिर्दिष्ट लघु वनोपजों को उक्त नियमों के प्रवर्तन से छूट देती है,

(ग) ऐसी वनोपज को, जो तत्समय प्रवृत्त इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गई, धन संबंधी रसीद (मनी रिसीप्ट)/रेटेड पास/वनोपज काटिंग चालान के अन्तर्गत आती हो ।

(घ) लघु वनोपज को, वन से स्थानीय बाजार को या संग्रहण केन्द्र को या घरेलू उपभोग के लिये।

(ड) वन से ऐसे खनिज को, जिसके लिए इस नियमों के अधीन अभिवहन पास आवश्यक नही है, हटाने के लिए अपेक्षित नहीं होगा।

---

(1) म. प्र. शासन अधि क्र. 28-1-2003-दस-3 दि. 24-6-03 द्वारा जोडा गया ।

(2) म. प्र. वन विभाग अधिसूचना क्र. एफ 30-8-2002-दस-3, दि. 16 मई 2005 (राजपत्र क्र. 21 दि. 27.5.2005) एवं दि. 11.7.2007 (राजपत्र क्र. 42 दि. 15.10.2010)

(3) म. प्र. वन विभाग अधिसूचना क्र. एफ 30-8-2002-दस-3, दिनांक 11.4.2007 एवं दिनांक 7.5.2012

---

4. पास जारी करने वाले अधिकारी और व्यक्ति – इन नियमों के अधीन निम्नलिखित अधिकारियों और व्यक्तियों को पास जारी करने की शक्ति होगी –

(क) उस वनोपज के लिए, जो सरकार की हो, डिवीजनल फारेस्ट ऑफिसर, सब डिवीजनल फारेस्ट ऑफिसर या कोई अन्य अधिकारी, जो डिवीजनल फारेस्ट ऑफिसर द्वारा लिखित में इस निर्मित्त प्राधिकृत किया गया हो,

(ख) किसी व्यक्ति के स्वामित्व की वनोपज के लिए, डिवीजनल फारेस्ट ऑफिसर या ऐसा कोई अधिकारी, जो वनपाल (फारेस्ट) के पद से निम्न पद का न हो या ऐसा, अन्य व्यक्ति जो डिवीजनल फारेस्ट ऑफिसर द्वारा लिखित में प्राधिकृत किया गया हो या ग्राम पंचायत जिसकी अधिकारिता में वनोपज पाई गई हो या पैदा हुई हो।

(1) विलोपत ।

(2) प्रायवेट भूमि (भूमिस्वामी) में पाये गये वृक्षों से अभिप्राप्त काष्ठ तथा ईंधन के परिवहन के लिए अभिवहन पास नीचे अधिकारिता की गई प्रक्रिया के अनुसार जारी किया जायेगा :

(क) निम्नलिखित प्रजातियों के काष्ठ ईंधन के परिवहन के लिए अभिवहन, पास, इस प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से गठित "पंचायत स्तर समिति" की सिफारिश के अनुसार पंचायत द्वारा जारी किया जाएगा :

(एक) विलोपित।
(दो) सिरस – अल्बीजिया प्रजातियां
(तीन) विलोपित।
(चार) बेर – जिजुफस प्रजातियां
(पांच) पलास – ब्यूटिया मोनोस्पर्मा
(छह) जामुन – साइजेजियम कुमिनी
(सात) रिमझा – एकेशिया ल्यूको फ्लोइया
(आठ) कटंग बांस में भिन्न बांस (बम्बू) खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, छिन्दवाडा, सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, कटनी, मण्डला, डिडौरी, शहडोल, उमरिया और सीधी जिलों के सिवाय।
(नौ) विलोपित
(दस) नीम – अजाडरक्टा इन्डिका
(ग्यारह) आम – मैंजीफेरा इण्डिका
(बारह) खमेर – मेलाडना अरबोरिया

क्र. एफ-28-1-99-दस-3, - मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के नियम 5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा, प्रवेश के अंदर व बाहर वन उपज की मात्रा अनुसार दरें निर्धारित कर परिवहन के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करने कि लिए निम्नानुसार शुल्क निर्धारित करता है :-

वनोपज की मात्रा	दर (प्रति ट्रक)
(1) दो घनमीटर तक	200/-
(2) 2 से 5 घनमीटर तक	300/-
(3) 5 घनमीटर से अधिक	400/-

(ख) 4(ख) (1) तथा 4(ख) (2) (क) में उल्लिखित से भिन्न समस्त प्रजातियों के काष्ठ/ईंधन के लिए अभिवहन पास, पंयायत स्तर समिति की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा प्राधिकृत वन अधिकारी (फारेस्ट आफिसर) द्वारा जारी किया जाएगा।

(ग) (1) जिले या उससे लगे जिलों के भीतर वनोपज का परिवहन करने के लिए ग्राम पंचायत या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अभिवहन पास जारी करेगा। वनोपज का अन्य गन्तव्य तक परिवहन करने के लिए अभिवहन पास, डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा प्राधिकृत वन अधिकारी (फारेस्ट आफिसर) द्वारा जारी किया जायेगा।

(घ) अभिवहन पास जारी करने के लिए, सुसंगत दस्तावेजों तथा आवेदन प्रस्तुत करने पर, आवेदन प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर अभिवहन पास जारी किया जाएगा।

(ड) लोक वानिकी मिशन के अधीन निजी स्वामित्व के काष्ठ का परिवहन भी ऊपर विहित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाएगा।

(च) अनुबंध समय मे अभिवहन पास, जारी नही करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी/अधीनस्थ तथा पंचायत के विरूद्ध कार्यवाई की जाएगी।

5. अभिवहन पास जारी करने के लिए फीस की दरें – राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत किया गया कोई अधिकारी, नियम 4 के उपबन्धों के अनुसार अभिवहन पास जारी करने के लिए फीस की दरें नियत करेगा।

क्र. एफ-30-7-99-दस-3- मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के नियम 5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद द्वारा, प्रवेश के अंदर व बाहर वन उपज के परिवहन के लिए अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिए निम्नानुसार शुल्क निर्धारित करता है –

वनोपज का नाम	प्रति वाहन शुल्क (रूपये में)				
	रेल्वे वेगन	कन्टेनर	रेल्वे वेगन या कन्टेनर	प्रति ट्रेक्टर-ट्राली	प्रति बैलगाड़ी
इमारती व जलाऊ काष्ठ तथा बांस	2000	4000	400	100	20
लघु वनोपज	1000	2000	200	50	10

[1] राज्य के बाहर परिवहन हेतु निम्नानुसार परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करने का शुल्क निर्धारित करता है।

1, रेल्वे वेगन द्वारा परिवहन 500/-
2, कन्टेनर द्वारा परिवहन 1250/-
3, रेल्वे वेगन के अतिरिक्त अन्य वाहन द्वारा परिवहन 100/- प्रति वाहन प्रति ट्रिप

[2] नोट – (1) हाथ ठेले से परिवहन पर अनुज्ञा शुल्क नहीं लिया जायेगा।
(2) मिनी ट्रक (जैसे टाटा 407) द्वारा वनोपज परिवहन करने पर ट्रक हेतु निर्धारित शुल्क लगेगा।
(3) ट्रक में एक से अधिक व्यापारियों का माल होने पर परिवहन पर वाहन की श्रेणी अनुसार प्रति अनुज्ञा पत्र अलग-अलग शुल्क लगेगा।

6. अभिवहन पास की विषयवस्तु : (1) नियम 3 के अधीन जारी किए गए प्रत्येक अभिवहन पास में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(क) उस व्यक्ति का नाम, जिसे ऐसा पास मंजूर किया गया है।
(ख) उसके अन्तर्गत आने वाली वनोपज की मात्रा और विवरण, लट्ठों की दशा में नाप सहित एक सूची अभिवहन पास के साथ संलग्न की जावेगी।
(ग) स्थान, जहाँ से तथा जहाँ तक ऐसी वनोपज का परिवहन किया जाना है।
(घ) वह मार्ग, जिससे ऐसी वनोपज का प्रवहण किया जाना है।
(ड) वह कालावधि जिसके लिए पास प्रवृत्त रहेगा।
(च) हथोडे के वैध चिह्न का छाप।

(2) अभिवान पास, इन नियमों से संलग्न प्ररूप क, ख या ग में नीचे उपदर्शित किये गये अनुसार जारी किया जायेगा :
प्ररूप – क – वन अधिकारी या इस संबंध में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी किया जावेगा ।

प्ररूप – ख – ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जावेगा ।

प्ररूप – ग – डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जो फारेस्टर के पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, फारेन पास के स्थान पर जारी किया जावेगा ।

(3) अभिवहन पास की प्रत्येक पुस्तक के बारे में संदेय राशि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रिंसीपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फारेस्ट, मध्यप्रेदश) द्वारा समय-समय पर विहित की जाएगी।

(4) अभिवहन पास दो प्रतियों में और पुस्तकों के रूप में जिल्दबंद होगा, जो डिवीजनल फारेस्ट आफिसर से अभिप्राप्त किया जायेगा । प्रत्येक पुस्तक पर एक पहचान क्रमांक होगा और प्रत्येक पुस्तक में पास, क्रम से संख्यांकित किये जावेंगे। प्रथम पृष्ठ प्रतिपर्ण होगा तथा द्वितीय पृष्ठ उपज के भारसाधक व्यक्ति को दिया जायेगा ।

7. प्रत्येक लोड के लिये पृथक् पास होगा: किसी भी अभिवहन पास में सामान्यत: एक लोड से अधिक का समावेश नहीं होगा, चाहे ऐसे लोड का किसी व्यक्ति, किसी पशु द्वारा या किसी यान में परिवहन किया जाए ।

---

(1) म. प्र. अधि. क्र. एफ 30-7-99-दस-3, दिनांक 24.2.07 द्वारा राज्य के बाहर परि. शुल्क जोड़ा गया । म. प्र. राजपत्र असा. दि. 9.3.2007 पृष्ठ 730 पर प्रकाशित ।

(2) म. प्र. शासन वन विभाग अधि. क्र. एफ 30-7-99-दस-3, दि. 6.9.2001 द्वारा जोड़ा गया । म.प्र. राजपत्र भाग – 1 दि. 6.9.2001 पृष्ठ 1933 पर प्रकाशित ।

8, पासों को बिगाड़ा नहीं जायेगा : किसी अभिवहन पास में मार्ग और कालावधि के विषय को छोड़कर मुद्रित या लिखित किसी बात में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और यह केवल किसी वन अधिकारी द्वारा, जो फारेस्टर की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, पास में उल्लिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से किया जा सकेगा ।

9, निरंक पास की पुस्तकों का उन्हें जारी करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों का ग्राम पंचायत को प्रदाय किया जाना :

(1) जब डिवीजनल फारेस्ट ऑफिसर नियम 4 के खण्ड (ख) तथा (ग) के अधीन किसी अधिकारी या व्यक्ति को अभिवहन पास जारी करने के लिए प्राधिकृत करता है तो वह ऐसे अधिकारी या ऐसे व्यक्ति या ग्राम पंचायत को, निरंक पास की अभिप्रमाणीकृत पुस्तकें समय-समय पर देगा।

(2) प्राधिकृत व्यक्ति या ग्राम पंचायत, जिसको ऐसी पुस्तक प्रदाय की गई है, नियम 6 के उपनियम (3) के अधीन यदि कोई राशि नियत की गई हो, तो उसका संदाय करेगा ।

(3) कोई व्यक्ति, जिसे पास जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, उसके प्राधिकार की शर्तो के अनुसार ही अभिवहन पास जारी करेगा ।

10, उपयोग किये गये अभिवहन पासों के प्रतिपर्णों के लेखों का वापिस किया जाना :

(1) ग्राम पंचायत या कोई व्यक्ति, जिसको अभिवहन पास की पुस्तक प्रदाय की गई है, डिवीजनल फारेस्ट आफिसर को उसके द्वारा जारी किये गये अभिवहन पास पर उद्धरित वनोपज का मासिक लेखा प्रस्तुत करेगा।

(2) उपयोग किये गये तथा उपयोग न किये गये समस्त अभिवहन पासों के प्रतिपर्ण (काउंटर फाइल) यदि कोई हो, उस अधिकारी को वापिस किये जायेंगे, जिससे पासों की पुस्तक प्राप्त की गई थी । जब तक पूर्व में

उपयोग किये गये समस्त पासों के प्रतिपर्ण वापिस नहीं किये जाते, अभिवहन पास की नई पुस्तक (बुक) का प्रदाय नही किया जायेगा ।

11, मांग किये जाने पर प्रतिपर्णो का निरीक्षण के लिये प्रस्तुत किया जाना : ग्रांम पंचायत या कोई व्यक्ति, जिसे नियम 4 के खण्ड (ग) के अधीन अभिवहन पास जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, यदि किसी वन अधिकारी द्वारा, जो फारेस्टर की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, ऐसी अपेक्षा की जाये तो वह समस्त ऐसे पासों के प्रतिपर्णो को, जो ऐसे व्यक्ति या ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये है, निरीक्षण के लिये पेश करने या वापस करने के लिये आबद्व करेगा ।

12, पास जारी करने के प्राधिकार के रद्दकरण या समाप्ति पर प्रक्रिया : यदि नियम 4 के खण्ड (ग) के अधीन दिया गया प्राधिकार रद्व कर दिया जाता है तो ऐसा व्यक्ति जिसका प्राधिकार इस प्रकार रद्द कर दिया गया है, अभिवहन पासों की उपयोग में न लाई गई प्रत्येक पुस्तक तथा उसके कब्जे में की ऐसी पुस्तक के उपयोग में लाये गये भाग उपभोग में लाये गये पासों के प्रतिपर्ण के साथ, यदि कोई हो, जो पूर्व में वापिस न किये गये हों, उस अधिकार को, जिसने उसे प्राधिकार दिया है, तत्काल वापिस करेगा ।

13, अधिकारी या ग्राम पंचायत या प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाये गये अभिवहन पास कब अविधिमान्य होंगे: ग्राम पंचायत या प्राधिकृत किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा जारी किये गये अभिवहन पास विधिमान्य नहीं होगे :

(क) यदि ऐसा पास, नियम 9 के उप-नियम (1) के अधीन इस प्रयोजन के लिये प्रदाय किये गये निरंक प्ररूप पर तैयार न किया गया हो ।

(ख) यदि पास ग्राम पंचायत स्तर समिति की सिफारिशों के अन्तर्गत नहीं आता है, या

(ग) यदि पास ऐसे अधिकारी या व्यक्ति या ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा पास जारी करने का प्राधिकार रद्द करने वाले आदेश की प्राप्ति के पश्चात जारी किया गया हो।

14, काष्ठ पर संपत्ति तथा अभिवहन चिह्नों का लगाया जाना : किसी भी काष्ठ का मध्यप्रदेश के किसी भी जिले से या जिले के भीतर तब तक गमनागमन नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस पर ऐसी डिजाइन का शासकीय अभिवहन चिह्न या ग्राम पंचायत का संपत्ति चिह्न न हो, जैसा कि इस निमित्त डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा समय-समय पर, विहित किया जाए। [1] परन्तु राज्य सरकार काष्ठ पर ऐसे चिह्नन लगाये जाने के लिये फीस विहित कर सकेगी ।

15, संपत्ति चिह्नों का रजिस्ट्रीकरण :

(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत को, आवेदन करने पर, डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा एक संपत्ति चिह्न आवंटित किया जायेगा, जो काष्ठ के प्रत्येक टुकडे पर लगाया जाएगा, जिसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा अभिवहन पास जारी किया जाना है ।

(2) कोई भी व्यक्ति उसके स्वामित्व की काष्ठ पर संपत्ति चिह्न के लिये डिवीजनल फारेस्ट ऑफिसर को आवदेन कर सकेगा जो उस डिवीजन के डिवीजनल फारेस्ट ऑफिसर कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत होगा, जिससे उसका परिवहन किया जाना है ।

(3) प्रत्येक संपत्ति चिह्न डिवीजनल फारेस्ट आफिसर द्वारा अनुमोदित आकृति का होगा : परन्तु किसी भी व्यक्ति को ऐसा चिह्न रजिस्ट्रीकृत किये जाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, जो किसी दूसरे व्यक्ति या ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में ही रजिस्ट्रीकृत किए या राज्य सरकार द्वारा प्रयुक्त चिह्न के समरूप है या जिसके संबंध में भ्रम हो सकता है । ऐसे विवाद की दशा में कि रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तावित चिह्न पूर्व में रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य चिह्न से अत्याधिक समानता रखता है या नहीं, डिवीजनल फारेस्ट ऑफिसर का विनिश्चत अंतिम होगा ।

(4) रजिस्ट्रीकरण के लिए 50/- रूपये फीस देय होगी और ऐसा रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से उस वर्ष की 31 दिसम्बर तक प्रभावी होगा ।

(5) आकृति (डिवाइस) प्रदर्शित करने वाला रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र, अपना चिह्न रजिस्ट्रीकरण कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति को डिवीजनल फारेस्ट ऑफिसर द्वारा दिया जाएगा ।

16, वनोपज को दिन के प्रकाश में ही हटाया जायेगा : डिवीजनल फारेस्ट ऑफिसर की लिखित में विशेष अनुज्ञा के सिवाय, किसी भी वनोपज का सूर्यास्त के पश्चात् तथा सूर्योदय के पूर्व के समय के बीच, वनों के भीतर परिवहन नहीं किया जायेगा ।

17, (1) वनोपज के आयात हेतु रजिस्ट्रीकरण : राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा म. प्र. में आयात के लिए काष्ठ की ऐसी प्रजाति या लघुवनोपज विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसके लिये आयात कर्ताओं को वन विभाग में स्वयं का रजिस्ट्रीकृत करवाना आपेक्षित होगा कोई भी व्यक्ति जो ऐसी काष्ठ की प्रजाति या लघु वनोपज आयात करने का आशय रखता है स्वयं को उस क्षेत्र के जहाँ वनोपज आयात की जाना है, वन मण्डलाधिकारी के कार्यालय में रजिस्टर करावेगा।

(2) डिवीजनल फारेस्ट आफिसर, रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक सत्यापन के पश्चात् और आवेदक द्वारा रूपये 500/- का भुगतान कर दिये जाने पर रजिस्ट्रीकृत करेगा तथा आवेदक को प्ररूप-घ में आयात का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र देगा तथा ऐसा रजिस्ट्रीकरण, कलेण्डर वर्ष के लिए विधिमान्य होगा ।

[1](3) अधिसूचित वनोपज का आयात करने वाला व्यक्ति, उसका तिमाही लेखा, संबंधित डिवीजनल फारेस्ट आफिसर को प्ररूप – ड में प्रस्तुत करेगा ।

---

(1) म. प्र. वन विभाग अधि. क्र. एफ 30.8.2002 दस-3, दिनांक 16.5.05 की धारा 2 से नियम 14 में परन्तुक जोडा गया ।

(2) म. प्र. शासन वन वि. अधि. क्र. एफ 30.8.2002 दस-3, दिनांक 16.5.05 से नियम 17(1) प्रतिस्थापित ।

---

18. फारेन पास

(1) (क) ऐसी समस्त वनोपज, जो मध्यप्रदेश राज्य में आयात की जा रही है, निर्यात किए जाने वाले राज्य द्वारा जारी किए गए, अभिवहन पास के अन्तर्गत होनी चाहिए तथा काष्ठ के मामले में प्रत्येक टुकड़े (पीस) पर अभिवहन पास पर उपदर्शित हथौड़े का छाप होना चाहिए ।

(ख) मध्यप्रदेश के सीमा जाँच नाके (बॉर्डर चैकिंग बैरियर) पर मूल पास के स्थान पर इस संबंध में प्राधिकृत वन अधिकारी द्वारा नया अभिवहन पास जारी किया जायेगा और मूल पास जमा कर लिया जायेगा।

(ग) कोई काष्ठ जिसका आयात राज्य में उपयोग के लिये किया जा रहा है, हथौड़े से चिह्नित किया जाएगा ।

(घ) हैमरिंग फीस, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, सीमा जाँच नाके पर वसूल की जाएगी ।

(ड) ऐसी दशा में जब, वनोपज मध्यप्रदेश में से होकर जा रही हो, प्रथम सीमा जाँच नाके से गन्तव्य के लिये राज्य के अंतिम सीमा जाँच नाके को उल्लिखित करते हुए अभिवहन पास जारी किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक फारेन पास ऐसे प्ररूप में होगा, जो उस डिवीजन के डिवीजनल फारेस्ट ऑफिसर के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, जिसमें उसके अधीन वनोपज का आयत किया जाना चाहा गया हो ।

19. सरकारी चिह्नों की नकल नहीं की जाएगी या उन्हें मिटाया नहीं जाएगा : वन अधिकारी या ग्राम पंचायत द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न कोई भी व्यक्ति, जिसका कर्तव्य ऐसे चिह्नों का उपयोग करना है, किसी सरकारी अभिवहन चिह्न या ऐसे चिह्न, जिससे सरकार की काष्ठ चिह्नांकित की गई हो, के समरूप या उसके अतिसदृश्य कोई संपत्ति चिह्न काष्ठ के लिए उपयोग में नही लायेगा और कोई भी व्यक्ति जब कोई काष्ठ किसी अधिकारी, ग्राम पंचायत या नियम 4 क खण्ड (ग) के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी पास के अधीन अभिवहन में हो, उस पर के किसी चिह्न को परिवर्तित नहीं करेगा या उसे नहीं मिटायेगा ।

---

1. म. प्र. व. वि. अधि. क्र. 30-8-2002-दस-3 दिनांक 16.5.05 की धारा 3 ख से नियम 17(3) संशोधित ।

---

20. अभिवहन में की वनोपज को रोका जाएगा तथा उसकी जाँच की जाएगी

(1) अभिवहन में की कोई वनोपज, जिस पर ये नियम लागू होते है और ऐसी वनोपज का वहन करने वाले पशु यान, जलयान या क्राफ्ट को कोई वन, पुलिस या राजस्व अधिकारी द्वारा किसी भी स्थान पर रोका जा सकेगा, निरूद्ध किया जा सकेगा, उसका परीक्षण किया जा सकेगा या उसकी जांच की जा सकेगी, यदि ऐसे अधिकारी को यह संदेह करने के युक्तियुक्त आधार हो कि उसका अभिवहन, इन नियमों के उल्लंघन में किया जा रहा है या उसके संबंध में सरकार को शोध्य किसी धन का भुगतान नहीं किया गया है या यह कि उसके संबंध में कोई वन संबंध अपराध किया गया है या किया जा रहा है :

परन्तु ऐसा कोई अधिकारी किसी वनोपज को, जो वैध रूप से अभिवहन में है, तंग करने की दृष्टि से या अनावश्यक रूप से निरूद्ध नही करेगा और न ही ऐसी वनोपज को तंग करने की दृष्टि से या वनोपज का परीक्षण करने के प्रयोजन के लिये अनावश्यक रूप से उतारेगा या उतरवायेगा ।

(2) ऐसी वनोपज का भारसाधक व्यक्ति, ऐसे किसी अधिकारी को समस्त जानकारी, जो वह उसके संबंध में देने में समर्थ हो, देगा और यदि वह वनोपज को अभिवहन पास के अधीन हटा रहा है तो ऐसा मांग किए जाने पर ऐसे अधिकारी के निरीक्षण के लिए पेश करेगा तथा ऐसे अधिकारी द्वारा वनोपज को रोके जो या परीक्षण किए जाते को किसी भी प्रकार से नहीं रोकेगा या उसका विरोध नहीं करेगा ।

(3) (क) अभिवहन में की प्रत्येक वनोपज, मार्ग पर वन नाके (जाँच नाके) पर जाँच के लिए प्रस्तुत की जाएगी ।

(ख) जाँच नाके का भारसाधक, उसमें दिए गए ब्यौरों के अनुसार मात्रा की तथा पास पर यथादर्शित हथौड़ा चिह्न की छाप की जाँच तथा सत्यापन करेगा । वनोपज की वैधता का समाधान हो जाने के पश्चात अभिवहन पास में उल्लिखित ब्यौरों की प्रविष्टि इस प्रयोजन के लिए नाके पर रखे रजिस्टर में की जायेगी तथा इस प्रकार की गई प्रविष्टि के सामने वनोपज का वहन करने वाले यान के चालक के हस्ताक्षर अभिप्राप्त किए जायेंगे । जांच नाके का भारसाधक, अभिवहन पास में विहित किए गए स्थान पर तारीख सहित अपने हस्ताक्षर करेगा तथा मुहर लगाएगा।

(4) यदि कोई फर्क या अनियमितताएं ध्यान में आती है, तो भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52 के उपबंध लागू होगे ।

21, काष्ठ के संपरिवर्तन का प्रतिबंध : वन विभाग के नियंत्रण के किसी आरक्षित, संरक्षित या अवर्गीकृत वनों की सीमाओं के भीतर तथा ऐसी सीमाओं के अस्सी किलोमीटर के भीतर कोई भी व्यक्ति, किसी वन अधिकारी की, जो वन संरक्षक (कंजरवेटर आफ फारेस्ट) की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो लिखित पूर्व मंजूरी के बिना चारकोल या कत्थे का विनिर्माण नहीं करेगा ।

22. नियमों का भंग करने पर शास्ति –

(1) जो कोई इन नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है या प्राधिकार के बिना अथवा इन नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में अभिवहन पासों को जारी करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रूपये तक हो सकेगा या दोनो से, दण्डनीय होगा ।

(2) ऐसे मामलों में, जहाँ अपराध सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व विधिपूर्ण प्राधिकारी के प्रतिरोध के लिए तैयारी के साथ किया जाता है, या जहाँ अपराधी पूर्व में ऐसे ही अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जा चुका है तो अधिरोपित की जाने वाली शास्ति, ऊपर अपनियम (1) में वर्णित शास्ति से दुगनी हागी ।

(3) ऐसे मामलों में जहाँ वनोपज, जिसकी बाबत अपराध किया गया है सरकार की सम्पत्ति नही है, या सरकार की संपत्ति होते हुए भी उसका मूल्य रू. 1000/- से कम है और यदि अपराधी ने पहली बार अपराध किया हो तब मामला रू. 10,000/- की राशि या यान का मूल्य जो भी कम हो, के भुगतान पर किसी अधिकारी द्वारा जो उपवन मण्डलाधिकारी की पद श्रेणी से कम न हो प्रशमन किया जा सकेगा । अपराध प्रशमन पश्चात् कोई ओर कार्यवाही नहीं की जावेगी । अभिग्रहित वनोपज, यदि सरकार को संपत्ति न हो या उसका मूल्य भुगतान कर दिया हो, जैसी भी परिस्थिति हो निर्मुक्त की जा सकेगी ।

23. निरसन : इन नियमों के प्रवृत्त होने पर, इन नियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व मध्यप्रदेश राज्य के क्षेत्र में प्रवृत्त इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम निरस्त हो जाएंगे :
परन्तु इस प्रकार निरसित किन्हीं भी नियमों के अधीन की गई किसी बात या किसी कार्यवाही के बारे में जब तक ऐसी कोई बात या कार्यवाही, इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से असंगत न हो, यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई है।

[2] प्ररूप – क

[नियम 6(2) देखिए]

पुस्तक क्रमांक	प्रतिपर्ण अभिवहन पास क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक

1. भण्डारन का स्थान .....
   (क) परिक्षेत्र (रेंज) .....
   (ख) खण्ड (डिवीजन) .....
2. वनोपज के स्वामी का नाम तथा पता .....
3. वनोपज का विवरण *तथा मात्रा .....
4. सम्पत्ति चिह्न यदि को हो .....
5. उस स्थान का नाम, जहाँ वनोपज का परिवहन किया जाना है .....
6. मार्ग, जिसके द्वारा वनोपज का परिवहन किया जाना है .....

7. नाका (बैरियर) जहां वनोपज जांच हेतु प्रस्तुत की जावेगी .....

8. पास के अवसान की तारीख एवं समय *** .....

9. वाहन का प्रकार, रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा मेक जिससे .....
   वनोपज का परिवहन किया जाना है .....

स्थान :
जारी करने की तारीख :
तथा समय :

जांच अधिकारी के हस्ताक्षर
(नाम तथा पदनाम)

टिप्पणी – द्वितीय पर्ण, प्रतिपर्ण के समान होगा ।

जारी करने वाले अधिकारी का नाम
(नाम तथा पदनाम)

* वनोपज का विवरण पृथक से संलग्न किया जाना चाहिए ।

** अवसान की तारीख अभिनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन लगभग 300 कि.मी. की दूरी के आधार पर कालावधि की गणना की जाना चाहिए ।

---

1. नियम 22 में उपनियम (3) मध्यप्रदेश शासन वन विभाग अधि क्रमांक एफ 30-8-2002-दस-3, दिनांक 16/5/05 द्वारा जोडा गया । अधि. राजपत्र भाग 4(ग) दिनांक 27.05.2015 पृष्ठ 209-210 पर प्रकाशित ।
2. प्रारूप 'क' संशोधित अधि क्रमांक एफ 30-7-99-दस-3, दिनांक 16/4/08 द्वारा हुआ । मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 4(ग) दिनांक 25.04.08 पृष्ठ 93-96 पर प्रकाशित ।

[1] प्ररूप – ख

(नियम 6(2) देखिए)

ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाएगा

पुस्तक क्रमांक	अभिवहन पास प्रतिपर्ण क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
(1)	(2)	(3)

1. संकल्प क्रमांक तथा तारीख .....
2. उद्‌गम स्थान .....
   (क) पंचायत का नाम/ग्राम खसरा क्रमांक .....
   (ख) भूमि स्वामी का नाम .....
3. वनोपज के स्वामी का नाम तथा पता .....
4. वनोपज का विवरण* एवं मात्रा .....
5. सम्पत्ति चिह्न, यदि को हो .....
6. उस स्थान का नाम, जहां वनोपज का परिवहन किया जाना है .....
7. मार्ग, जिसके द्वारा वनोपज का परिवहन किया जाना है .....
8. नाका (बैरियर), जहां वनोपज जांच हेतु प्रस्तुत की जावेगी .....
9. पास के अवसान की तारीख एवं समय *** .....
10. वाहन का प्रकार, रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा मेक जिससे .....
    वनोपज का परिवहन किया जाना है .....

स्थान :
जारी करने की तारीख :
तथा समय :

जांच अधिकारी के हस्ताक्षर
(नाम तथा पदनाम)

टिप्पणी – द्वितीय पर्ण, प्रतिपर्ण के समान होगा ।

जारी करने वाले अधिकारी का नाम
(नाम तथा पदनाम)

* वनोपज का विवरण पृथक से संलग्न किया जाना चाहिए ।

** अवसान की तारीख अभिनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन लगभग 300 कि.मी. की दूरी के आधार पर कालावधि की गणना की जाना चाहिए ।

---

1. प्ररूप 'ख' तथा 'ग' का संशोधन म.प्र. शासन वन विभाग अधि. क्र. एफ-30-7-99 दस-3, दिनांक 16-4-08 द्वारा हुआ ।

प्ररूप – ग

(नियम 6(2) देखिए)

फारेन पास के बदले में जारी किया जाए

पुस्तक क्रमांक (1)	अभिवहन पास प्रतिपर्ण क्रमांक (2)	पृष्ठ क्रमांक (3)

1.	उद्‌गम स्थान	.....
	(क) स्थान का नाम	.....
	(ख) वन डिपो का नाम तथा प्रास्थिति (स्टेटस)	.....
	(ग) विक्रेता का नाम	
2.	वनोपज के स्वामी का नाम तथा पता	.....
3.	फारेन पास का क्रमांक तथा तारीख	.....
4.	फारेन पास का जारी करने वाला प्राधिकारी	.....
5.	वनोपज का विवरण* तथा मात्रा	
6.	सम्पत्ति चिह्न आदि कोई हो तो	.....
7.	उस स्थान का नाम, जहां उपज का परिवहन किया जाना है	.....
8.	सीमा जाँच नाका (बैरियर) का नाम	.....
9.	मार्ग, जिसके उपज का परिवहन किया जाना है	.....
10.	नाका/डिपो, जहाँ वनोपज जाँच हेतु प्रस्तुत की जावेगी	.....
11.	पास के अवसान की तारीख एवं समय ***	.....
12.	हथौड़े का चिह्न (हैमर मार्क)	.....
13.	वाहन का प्रकार, रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा मेक, जिससे वनोपज का परिवहन किया जा रहा है	....

टिप्पणी – द्वितीय पर्ण, प्रतिपर्ण के समान होगा ।

* वनोपज का विवरण पृथक से संलग्न किया जाना चाहिए ।

** अवसान की तारीख अभिनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन लगभग 300 कि.मी. की दूरी के आधार पर कालावधि की गणना की जाना चाहिए ।

प्ररूप – घ

(नियम 17 (2) देखिए)

1. वनोपज के आयातकर्त्ता का नाम तथा पता .....
2. आयात की जाने वाली वनोपज का विवरण .....
   (क) देश/राज्य, जहाँ से वनोपज आयात की जाएगी .....
   (ख) आयात की जाने वाली वनोपज का नाम तथा अनुमानित मात्रा .....
3. मार्ग, जिसके गंतव्य स्थान तक उसका परिवहन किया जाएगा .....
4. गंतव्य स्थान का नाम .....
5. जाँच नाका/डिपो का नाम, जहां वनोपज जांच हेतु प्रस्तुत की जावेगी .....
6. रजिस्ट्रीकरण की तारीख .....
7. रजिस्ट्रीकरण के अवसान की कालावधि .....

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर तथा उसका पदनाम

प्ररूप – ड

(नियम 17 (3) देखिए)

..... से ..... के दौरान आयातीत तथा व्ययनीत काष्ठ का तिमाही लेखा

आरंभिक अतिशेष				आयातीत काष्ठ की मात्रा		योग		
प्रजाति	लट्ठा		चिरान सामग्री	लट्ठा		लट्ठा		चिरान सामग्री
	संख्या	घन मी.	घन मी.	संख्या	घन मी.	संख्या	घन मी.	घन मी.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

चिरान काष्ठ			चिराई के पश्चात् की कुल मात्रा			उपयोग की गई या विक्रय द्वारा व्ययन की गई मात्रा		
लट्ठा		चिरान	लट्ठा		चिरान	लट्ठा		चिरान
संख्या	घन मी.	घन मी.	संख्या	घन मी.	घन मी.	संख्या	घन मी.	घन मी.
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

तिमाही के अंत में टिप्पणियाँ अंतिम अतिशेष			टिप्पणियां
लट्ठा		चिरान	
संख्या	घन मी.	घन मी.	
(19)	(20)	(21)	(22)

टिप्पणी (1) – धारा 4. मध्यप्रदेश द्वारा धारा 41 के अन्तर्गत बनाए गए नियम मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(I) (F) (G) हनन नहीं करते (वीरजी लालजी पटेल एण्ड कम्पनी जबलपुर वि. म.प्र. शासन देखे (AIR 1965, Madhya Pradesh 211)

टिप्पणी (2) – शासन उस इमारती लकड़ी को जो शासन की संपत्ति नहीं है परिवहन के लिए नियंत्रित कर सकती है। (1977 CrLJ 1963)

टिप्पणी (3) – राज्य शासन की जलाऊ लकड़ी तथा कायेला परिवहन पर प्रतिबन्ध के आदेश दि. 24-2-82 तथा 23-9-85 को मि. पि. क्र. 282/1986 जबलपुर उच्च न्यायालय के निर्णय में अपास्त कर दिया है।